

कार्यालय प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर

क्रमांक/इम/छात्र शाखा/2022/

सागर, दिनांक: 02/12/2022

आदेश

मध्य प्रदेश काउंसिलिंग समिति तकनीकी शिक्षा संचालनालय के बी.टेक. शैक्षणिक सत्र 2022-23 प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश लेकर एवं प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्र के द्वारा जमा की गई शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण राशि वापिस की जानी है। उक्त छात्र ने दिनांक 20/10/22 तक अपना प्रवेश निरस्त करवाया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (कलेण्डर 22-23) से प्राप्त दिशा-निर्देशों के नियम बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार राशि वापिस योग्य होगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र	छात्र का नाम	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त की तिथि	IFSC NO.	ACCOUNT NO.	जमा की गई शिक्षण शुल्क की राशि	भुगतान योग्य वापिस की जाने वाली राशि
1	शिवम शर्मा	22/09/22	23/09/22	IOBA0002417	241701000011102	24,470/-	24,470/-

प्रचार्य

इं.गां. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

सागर, दिनांक: 02/12/2022

क्रमांक/इम/छात्र शाखा/2022/2823
तेलिपि : 1 केशियर/लेखापाल इं.गां. इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर ।

- 2 बेवसाईट प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ ।
- 3 संबंधित छात्र श्री शिवम शर्मा की ओर सूचनार्थ
- 4 नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

प्रचार्य

इं.गां. इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)